भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3484
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

किशोरियों का क्लब

3484. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री बसवराज बोम्मई:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री गणेश सिंहः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री भोजराज नाग:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री मनोज तिवारी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किशोर बालिका क्लब पहल शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त पहल को देश के अन्य राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विस्तारित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ताकि इसका एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके;

(ग) क्या विशेष रूप से महाराष्ट्र में किशोर विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु किशोर बालिका क्लब पहल में माता-पिता और अभिभावकों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में किशोर बालिका क्लब को मौजूदा स्कूली पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश / ढांचा तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): किशोरियों का क्लब न तो केन्द्र प्रायोजित है और न ही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों का क्लब के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं करता है और ना ही उसका पर्यवेक्षण अथवा निगरानी करता है। किशोरियों का क्लब के संबंध में ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****